



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

संख्या-2728-अ.प्र.-04/पाकालि/2008-1-जी.ई.(छ:)/80

दिनांक: अक्टूबर 20, 2008

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1900-अ.प्र.-04/पाकालि/2008-1जी.ई.(छ:)/80 दिनांक 14.07.2008 के तारतम्य में निवर्तन वय प्राप्त होने पर अधोनामित नव प्रोन्नत सहायक अभियन्ता भी उ.प्र.पावर कारपोरेशन लि. की सेवा से उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को सेवानिवृत्त होंगे:-

क्रम सं.	सहायक अभियन्ता का नाम (सर्वश्री)	अभिज्ञान संख्या	जन्म तिथि	सेवानिवृत्त की तिथि
1	2	3	4	5
	विद्युत एवं यांत्रिक संवर्ग			
1.	रवीन्द्र कुमार	2008056	15.12.48	31.12.2008
2.	महेन्द्र प्रताप सिंह	2008052	12.05.49	31.05.2009
3.	नेम पाल सिंह	2008055	05.07.49	31.07.2009
4.	तेज बहादुर सिंह	2008058	24.07.49	31.07.2009
5.	दया शंकर पाण्डेय	2008053	01.08.49	31.07.2009
6.	बाला सुब्रह्मणियम	2008060	14.08.49	31.08.2009
7.	सुभाष चन्द्र	2008075	25.09.49	30.09.2009
8.	दुर्गा प्रसाद गुप्ता	2008054	29.12.49	31.12.2009
9.	जय कृष्ण ओझा	2008090	01.01.50	31.12.2009
10.	बसन्त सिंह	2008065	24.03.50	31.03.2010
	जानपद संवर्ग			
1.	बलेश्वर दयाल	200807	15.07.49	31.07.2009

उपरोक्त आदेश सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को स्तम्भ-5 में दर्शित उनकी सेवानिवृत्ति तिथि तक सेवा में बने रहने का अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। संगत विनियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें लोकहित में उक्त तिथि के पूर्व कभी भी सेवानिवृत्त किया जा सकता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि वास्तविक सेवानिवृत्ति तिथि सूचित की जा रही तिथि से पहले पड़ती है, तो वास्तविक व सही तिथि को सेवानिवृत्त होना स्वयं अधिकारी की विधिक जिम्मेदारी होगी।

निदेशक (का.प्र.एवं प्रशासन)

संख्या: 2728(1)अ.प्र.-04/पाकालि/2008 तददिनांक.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि., वाराणसी/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि., आगरा/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि., लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि. (केस्को), कानपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, पारेषण, उ.प्र.पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि., शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता, पारेषण-दक्षिण, आगरा/पारेषण-मध्य, लखनऊ/पारेषण-पश्चिम, मेरठ, उ.प्र.पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि.।
5. मुख्य अभियन्ता (जानपद-पारेषण) प्रथम, उ.प्र.पावर कारपोरेशन लि., लखनऊ।
6. अपर सचिव (I/II/III), उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ.प्र.पावर कारपोरेशन लि., शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, मऊ/विद्युत वितरण मण्डल, बस्ती/विद्युत वितरण मण्डल झांसी/विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, बरेली/विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-III, कानपुर/विद्युत पारेषण मण्डल, आगरा/विद्युत पारेषण मण्डल, अलीगढ़/विद्युत पारेषण मण्डल, मुरादाबाद/विद्युत जानपद वितरण मण्डल, मेरठ।
9. संयुक्त सचिव, अनुशासनिक कार्यवाही, उ.प्र.पावर कारपोरेशन लि., शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी के विरुद्ध लम्बित विभागीय कार्यवाही/जांच इत्यादि, यदि कोई हो, को यथासमय पूर्णतः निर्णीत कराने की व्यवस्था करने का कष्ट करें, जिससे कि इनके नैवृत्तिक लाभों की स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब न हो।
10. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि., मिर्जापुर।
11. लेखाधिकारी (जीपीएफ)/(पेन्शन)/(महास्तार)/(वेतन एवं लेखा), उ.प्र.पावर कारपोरेशन लि., शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. उप सचिव/अनुभाग अधिकारी, अ.प्र.-03/गोपन अनुभाग, उ.प्र.पावर कारपोरेशन लि., शक्ति भवन, कारपोरेशन लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
13. वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/सूचना पट/कम्प्यूटर इकाई, उ.प्र.पावर कारपोरेशन लि., शक्ति भवन, लखनऊ।

नोट- सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं से अपेक्षा है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात अपने निवास स्थान का पूरा पता (नाम, अभिज्ञान संख्या, मकान नम्बर, गली, मोहल्ला, शहर, जिला, पिन कोड नम्बर आदि) पत्राचार हेतु कारपोरेशन मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से
(बी.बी.श्रीवारतव)
उप सचिव